आयुक्तन्यायालय, तिरहुतप्रमंडल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपीलवाद सं0–18/2020

श्री परशुराम प्रसाद सिंह

बनाम

राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
09.02.2023	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJCसंख्या–11078/2005 में दिनांक–25.09.2019 को दिये गये आदेश के आलोक में श्री परशुराम प्रसाद सिंह, तत्कालीन लिपिक, अंचल कार्यालय, पुरनहिया, शिवहर द्वारा यह अपील दायर की गयी है। जिलापदाधिकारी, शिवहर से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला श्री परशुराम प्रसाद सिंह, तत्कालीन लिपिक, अंचल कार्यालय, पुरनहिया, शिवहर पर लगाये गये आरोप पर लिये गये निर्णय से संबंधित है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, पुरनहिया के पत्रांक शून्य दिनांक 13.08.2021 के आलोक मे सरकारी राशि गबन करने एवं सरकारी कागजात गायब करने के आरोप में श्री परशुराम प्रसाद सिंह, लिपिक, अंचल कार्यालय, पुरनहिया, शिवहर के विरूद्ध पुरनहिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई एवं जिला पदाधिकारी, शिवहर के आदेश ज्ञापांक 205 दिनांक 31.08.2001 द्वारा निलंबित करते हुए मुख्यालय प्रखण्ड कार्यालय, शिवहर निर्धारित किया गया। इसी बीच श्री सिंह को पुलिस अभिरक्षा में जाना पड़ा एवं जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद भी उनके द्वारा निर्धारित मुख्यालय में योगदान नहीं दिया गया। श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र–'क' का गठन करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। श्री सिंह के अनुरोध पर संचालन पदाधिकारी बदल कर अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री सिंह के द्वारा विभागीय कार्यवाही में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री सिंह के अनुरोध	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए जिला पदाधिकारी, शिवहर के आदेश ज्ञापांक 659 दिनांक 25.10.2002 द्वारा श्री सिंह को निलम्बन से मुक्त करते हुए अनुमंडल कार्यालय, शिवहर में योगदान करने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री सिंह द्वारा योगदान समर्पित नही ंकिया गया।विभागीय कार्यवाही में अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी श्री सिंह द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने के कारण संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गए आरोप प्रमाणित पाया गया। आरोप पत्र में गठित आरोप निम्न हैः– (i) जिला स्थापना उप समाहर्ता द्वारा प्रभार सौंपने संबंधित आदेश का उल्लंघन । अंचल कार्यालय के द्वारा विरमित करने का आदेश एवं पारगमन अवधि में ही प्रभार सौपने के आदेश का उल्लंघन किया जाना। (ii) श्री सिंह द्वारा उपर्युक्त आदेश नहीं मानने पर विरमित करने संबंधी आदेश की प्रविष्टि चपरासी बही में प्राप्त करने हेतु उपस्थिति पंजी मे ंदर्ज कर दिया गया था। इन पंजियों को श्री सिंह द्वारा गायब कर दिया जाना। (iii) श्री सिंह द्वारा कार्यालय के सामान्य रोकड़ पंजी , सभी सहायक रोकड़ पंजी, अभिश्रव पंजी, अग्रिम पंजी, विपत्र पंजी, कोषागार सहायक पंजी, बैंक पास बुक , नाजिर रसीद, भंडार पंजी, लगान रसीद बही तथा निर्गत पंजी गैरकानूनी ढंग से गायब कर दिया जाना । (iv) दिनांक–05.07.2001 को विपत्र संख्या–07 / 2001, 08 / 2001 तथा 09 / 2001 के द्वारा 60,000 रूपये की निकासी कर कार्यालय को जानकारी उपलब्ध नहीं कराना तथा बैंक में तत्काल जान–बुझ कर जमा नहीं किया जाना। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दूसरे दिन श्री सिंह के द्वारा अनुचित तरीके से रखी गयी सरकारी राशि अंचल कार्यालय के बैंक खाता में जमा की गयी, एवं अवशेष राशि 926 रूपया नवम्बर 2002 मे ंअंचल कार्यालय में जमा किया गया।श्री सिंह के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने तथा दिनांक–22.10.2002 को निलंबन से मुक्त होने के बाद भी स्थानांतरित कार्यालय में योगदान समर्पित नहीं किये जाने के कारण जिला पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक–179 दिनांक–10.03.2003 द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग की गयी, जो बिना तामिला वापस आ	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	गया। तत्पश्चात् दिनांक–11.04.2003 को हिन्दुस्तान एवं दिनांक–12.04.2003 को दैनिक जागरण के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति द्वारा 15 दिनों के अन्दर द्वितीय कारण–पृच्छा समर्पित करने का आदेश दिया गया। श्री सिंह ,द्वारा निबंधित डाक से द्वितीय कारण–पृच्छा समर्पित किया गया। श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये आरोप को प्रमाणित होने के कारण जिलापदाधिकारी, शिवहर के आदेश ज्ञापांक–346 दिनांक–17.05.2003 द्वारा उनको सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जिला पदाधिकारी, शिवहर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में सेवा अपीलवाद संख्या–41/2004–05 दायर किया गया। आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा सेवा अपीलवाद संख्या–41/2004–05 में दिनांक–19.07.2005 को आदेश पारित करतेहुए अपीलकर्ता के अपील कोअस्वीकृत कर दिया गया। आयुक्त न्यायालय में पारित आदेश के विरूद्ध श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे CWJC NO-11078/2005 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–25.09.2019 को आदेश पारित किया गया है, जिसका अंश निम्नवत् हैः– " 17. The observation of this court on account of the quantum of punishment having regard to the findings in the criminal proceedings is based on decision of the Apex Court in the case of ***Captain M. pal Anthony as well as in the case of G.M. Tank vs. State of Gujrat &Ors. reported in (2006) 5 SSC 446.***Commissioner, Tirhut Division, Muzaffarpur should therefor reconsider the punishment of dismissal having regard to the mitigating circumstances of the petitioner's acquittal by the Appellate Court in Purnahiya P.S Case No. 34 of 2001 18. Having regard to the decisions of the Apex Court taken note of hereinabove. The Commissioner would be obliged to reconsider the quantum of punishment by reasoned and speaking order in accordance with law within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this order. The writ petition is disposed of with the aforesaid	

WEB COPY NOT OFFICIAL

observations and directions.

अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया। साथ ही पुरनहिया थाना में एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया। पुरनहिया थाना में दर्ज केस न०–24/2001 में वही आरोप है जो प्रपत्र 'क' में लगाया गया है। ट्रायल के पश्चात् प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–सह–विशेष न्यायाधीश, सीतामढ़ी द्वारा अपीलकर्त्ता को दोष मुक्त किया गया है। जब समान आरोप के संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में अपीलकर्त्ता की बर्खास्तगी आदेश को बरकरार रखना विधि सम्मत नहीं है।

सम्पूर्ण तथ्यों के विश्लेषण में पाया गया कि –

(i) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मात्र इस आधार पर अपीलकर्त्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने का निदेश दिया गया है कि संबंधित आपराधिक कार्रवाई (पुरनहिया थाना कांड सं0–34/2001) में उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया है।

(ii) अपीलकर्त्ता द्वारा कार्यालय से संबंधित अभिलेख तबतक उपलब्ध नहीं कराया गया, जबतक उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज नहीं कर दी गयी । यह सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता ।

(iii) अपीलकर्त्ता द्वारा स्थानांतरण के बावजूद प्रभार नहीं सौंपा जाना वरीय पदाधिकारी/विभागीय निदेश की अवहेलना का स्पष्ट रूप से परिचायक है। इससे नव पदस्थापित कर्मी को सरकारी कार्य करने में दुविधा का सामना करना पड़ा। साथ ही उनका यह कृत्य सरकारी सेवक के आचारण के प्रतिकूल है।

(iv) उक्त प्रमाणित तथ्यों से भी यह स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता द्वारा वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गयी है। जिसके संबंध में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। उनका उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के विरूद्ध है। जिसके संबंध में अपीलकर्त्ता के अधिवक्ता द्वारा भी किसी प्रकार का बचाव का तर्क प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।

(v) निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है की अपीलकर्ता के विरूद्ध राशि गवन के आरोप में आई0पी0सी0 की धारा 467, 468 एवं 409 में प्राथमिकी दर्ज किया गया। अनुमंडल न्यायीक

WEB COPY NOT OFFICIAL

दंडाधिकारी द्वारा इन्हें आई0पी0सी0 की धारा 467, 468 से मुक्त कर दिया गया परंतु 409 में दोषी पाया गया। इसके विरूद्ध अपीलकर्ता ने अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी के यहां अपील दायर किया जिसमें अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी ने इन्हें धारा 409 के आरोप से भी मुक्त कर दिया गया। इस संबंध में निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न टिप्पणी में भी उल्लेख है कि *धारा 409 में* ***"Criminal breach of trust by public servant"*** *के लिए दंडित किया जाता है। जो राशि गवन करने के लिए इन पर चलाया गया था। परंतु वर्तमान मामले में सेवा बर्खास्तगी में गवन के अतिरिक्त अन्य कई आरोप जैसे आदेश का उल्लंघन करना, पंजीयों को गायब करना एवं दायित्व निर्वहन नहीं करना आदि आरोप है। धारा 409 में निर्दोष सिद्ध होने से विभागीय कार्रवाई निष्प्रभावी नहीं हो जाता है।''* अर्थात अपीलकर्ता पर गवन के अतिरिक्त प्रभार नहीं सौंपने, चपरासी बही एवं उपस्थिती पंजी गायब करने, कार्यालय के मुख्य दस्तावेज सामान्य रोकड़ पंजी, सभी सहायक रोकड़ पंजी, अभिश्रव पंजी, अग्रिम पंजी, विपत्र पंजी, कोषागार सहायक पंजी, बैंक पासबुक, नाजिर रशीद इत्यादी गायब करनेजैसे गंभीर प्रकृति के आरोप में आता है। अपीलकर्ता का यह कृत्य बिहार आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 के विरूद्ध है। ऐसे आरोप के लिये अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी का दिया गया आदेश सर्वथा उचित है एवं ऐसे कर्मचारी को सेवा में रखने से कार्यालय संस्कृति पर भी इसका असर पड़ेगा एवं भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता जैसीमनोवृत्ती को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जहां तक अपीलकर्ता के आपराधिक मामले में दोषमुक्त होने का प्रश्न है तो इस संबंध में यह तथ्य ध्यातव्य है कि आपराधिक कार्रवाईयों में किसी भी प्रकार के आरोप के प्रमाणित होने के लिए संदेह से परे (Beyond Doubt) प्रमाण की आवश्यकता होती है जबकि विभागीय कार्यवाही साक्ष्यों की बहुलता के आधार पर एवं सरकारी सेवक आचार नियमावली के अधीन संचालित की जाती है तथा इसमे सरकारी सेवक के आचरण पर विचार किया जाता है। साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली ने अपने सिविल अपील संखया–5848/2021 में उल्लेखित है कि :–

"A bare perusal of the order which has been quoted in its totality goes to show that the same is not based on any rational foundation. The conceptual difference between a departmental inquiry and criminal proceedings has not been kept in view.

WEB COPY NOT OFFICIAL

	Even orders passed by the executive have to be tested on the touchstone of reasonableness.[See Tata Cellular v.Union of India. [(1994) 6 SCC 651] and Teri Oat Estates (P) Ltd. v. U.T., Chandigarh [(2004) 2 SCC 130].] The conceptual difference between departmental proceedings and criminal proceedings have been highlighted by this Court in several cases." The purpose of departmental inquiry and of prosecution are two different and distinct aspects. The criminal prosecution is launched for an offense for violation of a duty, the offender owes to the society or for breach of which law has provided that the offender shall make satisfaction to the public. So crime is a act of commission in violation of law or of omission of public duty. The departmental inquiry is to maintain discipline in the service and efficiency of public service. It would, therefore, be expedient that the disciplinary proceedings are conducted and completed as expeditiously as possible. It is not, therefore, desirable to lay down any guidelines as inflexible rules in which the departmental proceedings may or may not be stay pending trial in the criminal cases against the delinquent officer. Each case required to be considered in the back drop of its own facts and circumstances. There would be no bar to proceed simultaneously with departmental inquiry and trial of a criminal case unless the charge in the criminal trail is of grave nature involving complicated questions of fact and law. Offense generally implies infringement of public duty, as distinguish from	

WEB COPY NOT OFFICIAL

mere private rights punishable under criminal law. When the trial for a criminal offense is conducted it should be in accordance with proof of the offense as per the evidence define under the provisions of the Indian Evidence Act, 1872 [in short 'the Evidence Act']. The converse is the case of departmental inquiry. The inquiry in a departmental proceeding relates to conduct or breach of duty of the delinquent officer to punish him for his misconduct defined under the relevant statutory rules or law. That the strict standard of proof or applicability of the Evidence Act stands excluded is a settled legal position...."

इसी आदेश के पैरा 29 में यह भी उल्लेखित है कि :–

"The burden of proof in the departmental proceeding is not of beyond reasonable doubt as the principle in the criminal trial but the probabilities of the misconduct."

अतः उक्त के आलोक में स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा विधिसम्मत तरीके से विभागीय कार्यवाही संचालन के बाद आरोप प्रमाणित होने पर दंड दिया गया है, जो उचित है।

वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता के विरूद्ध निम्न न्यायालय एवं पूर्व में इस न्यायालय द्वारा संसूचित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त आयुक्त

WEB COPY NOT OFFICIAL